

## फ्लड प्लेन ज़ोनगि

### प्रलिस के लयि:

फ्लड प्लेन ज़ोनगि, बाढ़, भारत की बाढ़ के प्रतसिंवेदनशीलता ।

### मेन्स के लयि:


आपदा प्रबंधन, फ्लड प्लेन ज़ोनगि के लयि मॉडल बलि की चुनौतयिँ ।

## चरचा में क्योँ?

हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने राज्यसभा को सूचति कयिा है क मिणपुिर, राजस्थान, उत्तराखंड और तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्योँ ने फ्लड प्लेन ज़ोनगि नीतिलागू की थी ।

- हालाँक बाढ़ के मैदानों का परसीमन और सीमांकन कयिा जाना बाकी है ।
- इससे पहले [भारत के नयित्तरक एवं महालेखा परीकषक \(CAG\)](#) ने केरल वधिनसभा में बाढ़ की तैयारी और प्रतकिरयिा पर एक रपौरट पेश की ।
  - रपौरट में कहा गया है क किेंद्र सरकार द्वारा सभी राज्योँ को फ्लड प्लेन ज़ोनगि कानून के लयि एक मॉडल ड्राफ्ट बलि परचालति कयि जाने के 45 वर्ष बाद राज्योँ ने अभी तक फ्लड प्लेन ज़ोनगि कानून नहीं बनाया है ।

॥



## फ्लड प्लेन ज़ोनगि:

### परिचय:

- फ्लड प्लेन ज़ोनगि को बाढ़ प्रबंधन के लिये एक प्रभावी गैर-संरचनात्मक उपाय के रूप में मान्यता दी गई है।
- फ्लड प्लेन ज़ोनगि की मूल अवधारणा का उद्देश्य बाढ़ से होने वाले नुकसान को सीमित करने के लिये बाढ़ के मैदानों में भूमि उपयोग को वनियमिति करना है।

### वशिष्टताएँ:

- वकिसात्मक गतविधियों का नरिधारण:** इसका उद्देश्य वकिसात्मक गतविधियों के लिये स्थानों और क्षेत्रों की सीमा को इस तरह से नरिधारति करना है कि नुकसान कम-से-कम हो।
- सीमाओं का नरिधारण:** इसमें असुरक्षति और संरक्षति दोनों क्षेत्रों के वकिसा पर सीमाएँ नरिधारति करने की परकिलपना की गई है।
  - असंरक्षति क्षेत्रों में अंधाधुंध वकिसा को रोकने के लिये जनि क्षेत्रों में वकिसात्मक गतविधियों पर प्रतबिंध लगाया जाएगा, उनकी सीमाएँ नरिधारति की जानी हैं।
  - संरक्षति क्षेत्रों में केवल ऐसी वकिसात्मक गतविधियों को अनुमति दी जा सकती है, जनिमें सुरक्षात्मक उपाय वफिल होने की स्थिति में भारी क्षति शामिल नहीं होगी।
- उपयोगिता:** ज़ोनगि मौजूदा स्थितियों का समाधान नहीं कर सकता है, हालाँकि यह नश्चिती रूप से वकिसा कार्यों में बाढ़ के कारण होने वाली क्षति को कम करने में मदद करेगा।
  - फ्लड-प्लेन ज़ोनगि न केवल नदियों द्वारा आने वाली बाढ़ के मामले में आवश्यक है, बल्कि यह वशिष्ट रूप से शहरी क्षेत्रों में जल जमाव से होने वाले नुकसान को कम करने में भी उपयोगी है।

## बाढ़ के प्रतसिंवेदनशीलता की भारत की स्थिति:

- भारत के उच्च जोखमि और भेद्यता को इस तथ्य से आकलति कया गया है कि 3290 लाख हेक्टेयर के भौगोलिक क्षेत्र में से 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ प्रवण क्षेत्र है।
- बाढ़ के कारण प्रतविरष औसतन 75 लाख हेक्टेयर भूमि प्रभावति होती है तथा लगभग 1600 लोगों की मृत्यु हो जाती है एवं इसके कारण फसलों व मकानों तथा जन-सुवधियों को होने वाली क्षति 1805 करोड़ रुपए की है।

## फ्लड-प्लेन ज़ोनगि के लिये मॉडल ड्राफ्ट बलि:

- परिचय:** यह बलि/वधियक बाढ़ क्षेत्र प्राधकिरण, सर्वेक्षण और बाढ़ के मैदानी क्षेत्र के परसीमन, बाढ़ के मैदानों की सीमाओं की अधसूचना, बाढ़ के मैदानों के उपयोग पर प्रतबिंध, मुआवज़े व सबसे महत्वपूर्ण रूप से जल के मुक्त प्रवाह को सुनश्चिती करने के लिये इन बाधाओं को दूर करने के बारे में प्रवषिटी प्रदान करता है।
  - इसके तहत बाढ़ प्रभावी क्षेत्रों के नचिले इलाकों के आवासों को पार्कों और खेल मैदानों में प्रतस्थापति कया जाएगा क्योंकि उन क्षेत्रों में मानव बस्ती की अनुपस्थिति की वजह से जान-माल की हानि में कमी आएगी।
- कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:**
  - संभावति वधायी प्रकरिया के साथ-साथ बाढ़ के मैदानों के प्रबंधन हेतु वभिन्नि पहलुओं का पालन करने के दृष्टिकोण से राज्यों की ओर से प्रतरीध कया गया है।
    - राज्यों की अनचिछा मुख्य रूप से जनसंख्या दबाव और वैकल्पिक आजीविका प्रणालियों की कमी के कारण है।
  - बाढ़ के मैदानों के संबंध में नयिमों को लागू करने और इन्हें लागू करने के प्रतराज्यों की उदासीन प्रतकिरिया के चलते बाढ़ क्षेत्रों के अतकिरण में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जसिमें कभी-कभी अधकृत और नगर नयोजन अधिकारियों द्वारा वधिवित अनुमोदति अतकिरण के मामले देखने को मिलते हैं।

## संबंधति संवैधानिकि प्रावधान और अन्य उपाय:

- सूची II (राज्य सूची) की प्रवषिटी 17 के रूप में जल नकिसी और तटबंधों/बाँधों को शामिल करने के आधार पर "अंतर-राज्यीय नदियों एवं नदी के वनियमन और वकिसा" के मामले को छोड़कर, बाढ़ नयितरण कार्य राज्य सरकार के दायरे में आता है। 'घाटियों', का उल्लेख सूची I (संघ सूची) की प्रवषिटी 56 में कया गया है।
  - फ्लड-प्लेन ज़ोनगि राज्य सरकार के दायरे में है क्योंकि यह नदी के किनारे की भूमि से संबंधति है और सूची II की प्रवषिटी 18 के तहत भूमि राज्य का वषिय है।
  - केंद्र सरकार की भूमिका केवल परामर्श देने तथा दशिा-नरिदेश के नरिधारण तक ही सीमति हो सकती है।
- संवधान में शामिल [सातवीं अनुसूची](#) की तीन वधायी सूचियों में से कसी में भी बाढ़ नयितरण और शमन (Flood Control and Mitigation) का सीधे तौर पर उल्लेख नहीं कया गया है।
- वर्ष 2008 में [राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधकिरण](#) (National Disaster Management Authority- NDMA) ने बाढ़ को नयितरति करने के लिये एक महत्वपूर्ण "गैर-संरचनात्मक उपाय" के रूप में बाढ़ के मैदान क्षेत्र के लिये राज्यों को दशिा-नरिदेश जारी कयि हैं।
- इसने सुझाव दयिा कि ऐसे क्षेत्र जहाँ 10 वर्षों में बाढ़ की आवृत्ति के कारण प्रभावति होने की संभावना है, उन क्षेत्रों को पार्कों, उद्यानों जैसे हरे क्षेत्रों के रूप में आरक्षति कया जाना चाहयि तथा इन क्षेत्रों में कंक्रीट संरचनाओं (Concrete Structures) की अनुमति नहीं दी जानी चाहयि।
- इसमें बाढ़ के अन्य क्षेत्रों के बारे में भी बात की गई जैसे- 25 साल की अवधि में बाढ़ की आवृत्ति वाले क्षेत्रों में राज्यों को उन क्षेत्र-वशिष्ट योजना बनाने के लिये कहा गया।

## आगे की राह:

- चूँकि बाढ़ से हर साल जान-माल की बड़ी क्षति होती है, इसलिये समय आ गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें एक दीर्घकालिक योजना तैयार करें जो बाढ़ को नियंत्रित करने हेतु तटबंधों के निर्माण तथा ड्रेजिंग जैसे उपायों से बढ़कर हो।
- एक एकीकृत बेसिन प्रबंधन योजना (Integrated Basin Management Plan) की आवश्यकता है जो सभी नदी-बेसिन साझा करने वाले देशों के साथ-साथ भारतीय राज्यों को भी जोड़े।

## स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/flood-plain-zoning-1>

